संख्या- 09 /2018/687 /अडतीस-7-2018- 134नरेगा/2017

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक ,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 03 अप्रैल, 2018**

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत निजी खेत में "मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना"।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के पात्र वर्ग के जॉबकार्डधारी परिवार के निजी खेत में ''मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना'' हेतु निम्न दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं-

1. इस परियोजना के तहत, मनरेगा अधिनियम की अनुसूची- 1 के पैरा- 5 में वर्णित निम्नवत कुटुंबों को आच्छादित किया जा सकेगा -

(क) अनुसूचित जाति
(ख) अनुसूचित जनजाति
(ग) घुमन्तु जनजाति
(घ) अधिसूचना में से निकाली गयी जनजातियां
(ड़) गरीबी रेखा से नीचे अन्य कुटुम्ब
(च) महिला प्रधान वाले कुटुम्ब
(छ) शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाले कुटुंब
(ज) भूमि सुधारों के फायदाग्राही
(झ) इन्दिरा/प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन फायदाग्राही
(ञ) अनुसूचित जाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम-2006 (2007 का 2) के अधीन फायदाग्राही, और

इस शर्त के अधीन रहते हुए, कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथा परिभाषित लघु या सीमांत किसानों की भूमि पर, उपरोक्त प्रवर्गो के अधीन पात्र फायदाग्राहियों को खाली करने के पश्चात कि कुटुंबों के पास उनकी भूमि या वास भूमि पर आरम्भ की गयी परियोजना पर कार्य करने के इच्छुक कम से कम एक सदस्य के पास जॉबकार्ड होगा।(and after exhausting the eligible beneficiaries under the above categories, on lands of the small or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008 subject to the condition that such households shall have a job card with atleast one member willing to work on the project undertaken on their land or homestead).

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है।इ अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. मुख्यमंत्री फलोद्यान परियोजना के संबंध में निम्नान्कित तकनीकी आवश्यकता अनिवार्य एवं बंधनकारी होगी:-

क्रसं0	वृक्षारोपण का प्रकार	पौधों के बीच अंतराल(मी0 में)	पौधों की संख्या(हे0में)	गड्ढे का आकार(मी0 में)	रोपित की जाने वाली फलदार वृक्ष	सुरक्षा के उपाय
1	खेत में ब्लॉक प्लानटेशन	3x3	1111	0.45x0.45x0.45	नींबू, अमरूद, अनार आदि।	पौधो की सुरक्षा हेतु स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त व्यवस्था अथवा कटीले तार से फेंसिंग।
		5x5	400	0.60x0.60x0.60	ग्राफ्टेड संतरा, किन्नो, आड़ू,, नाशपाती, नींबू आम, अंजीर, प्लम, अमरूद, आदि।	
		6x6	277	0.60x0.60x0.60	अमरूद, आंवला,जामुन, कटहल,बेर, लीची आदि।	
		10x10	100	0.90x0.90x0.90	आम, ऑवला, लीची, बेल आदि।	

3. निजी खेत में फलोद्यान परियोजना 03 वर्षों के लिये अनुमन्य होगी। वर्षवार मानक लागत विवरण निम्नानुसार निर्धारित की जाती है-

विवरण	खेतों में ब्लाक प्लान्टेशन			
पौधों की संख्या	1111 पौधे प्रति हे0	400 पौधे प्रति हे0	277 पौधे प्रति हे0	100 पौधे प्रति एकड़
परियोजना की अवधि	03 वर्ष	03 वर्ष	03 वर्ष	03 वर्ष
पौधों का अंतराल	3x3	5x5	6x6	10x10
परियोजना में प्रस्तावित लागत (रू0 में)				
प्रथम वर्ष (रोपण वर्ष)				
सामान्य क्षेत्र				
अ -मजदूरी (मानव दिवस एवं व्यय रू0 में)	(464.95) 81832.34	(226.75) 39908.77	(164.93) 29028.75	(113.15) 19915.43
ब -सामग्री संलग्न परिशिष्ट -1 के अनुसार 'अनुमानित व्यय (रू0 में)	37760.00	14300.00	10250.00	4400.00
योग	119592.34	54208.77	39278.75	24315.43
मजदूरी सामग्री अनुपात	68:32	74:26	74:26	82:18
पठार क्षेत्र				
अ -मजदूरी (मानव दिवस एवं व्यय रू0 में)	(472.69) 83194.22	(234.99) 41359.61	(170.64) 30033.47	(120.18) 21152.15

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है।अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ब - सामग्री संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार 'अनुमानित व्यय (रू0 में)	37760.00	14300.00	10250.00	4400.00
योग	120954.22	55659.61	40283.47	25552.15
मजदूरी सामग्री अनुपात	68:32	74:26	74:26	82:18

परियोजना में प्रस्तावित लागत (रू0 में)				
अनुरक्षण (द्वितीय वर्ष)				
सामान्य क्षेत्र				
अ -मजदूरी (मानव दिवस एवं व्यय रू0 में)	(217.40) 38262.84	(78.27) 13776.00	(54.20) 9539.88	(19.56) 3444.00
ब -सामग्री संलग्न परिशिष्ट -1 के अनुसार ' *अनुमानित व्यय (रू0 में)	5030.00	2900.00	2540.00	2000.00
योग *	43292.84	16676.00	12079.88	5444.00
मजदूरी सामग्री अनुपात	88:12	82:18	78:22	63:37
पठार क्षेत्र				
अ -मजदूरी (मानव दिवस एवं व्यय रू0 में)	(217.40) 38262.84	(78.27) 13776.00	(54.20) 9539.88	(19.56) 3444.00
ब - सामग्री संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार 'अनुमानित व्यय (रू0 में)	5030.00	2900.00	2540.00	2000.00
योग	43292.84	16676.00	12079.88	5444.00
मजदूरी सामग्री अनुपात	88:12	82:18	78:22	63:37

परियोजना में प्रस्तावित लागत (रू0 में)				
अनुरक्षण (तृतीय वर्ष)				
सामान्य क्षेत्र				
अ -मजदूरी (मानव दिवस एवं व्यय रू0 में)	(217.40) 38262.84	(78.27) 13776.00	(54.20) 9539.88	(19.56) 3444.00
ब -सामग्री संलग्न परिशिष्ट -1 के अनुसार ' *अनुमानित व्यय (रू0 में)	3380.00	2300.00	2120.00	1850.00
योग *	41642.84	16076.00	11659.88	5294.00
मजदूरी सामग्री अनुपात	92:08	85:15	82:18	65:35
पठार क्षेत्र				
अ -मजदूरी (मानव दिवस एवं व्यय रू0 में)	(217.40) 38262.84	(78.27) 13776.00	(54.20) 9539.88	(19.56) 3444.00
ब - सामग्री संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार 'अनुमानित व्यय (रू0 में)	3380.00	2300.00	2120.00	1850.00
योग	41642.84	16076.00	11659.88	5294.00
मजदूरी सामग्री अनुपात	92:08	85:15	82:18	65:35

4. परियोजना का मदवार एवं वर्षवार ईकाई लागत का विवरण परिशिष्ट 1 व 2 में दिया गया है। मजदूरी के अन्तर्गत सर्वेक्षण एवं सीमांकन, सफाई, ग़ड्डों का प्रतिबंधन, गड्डे की खुदाई, सामग्री की चढ़ाई एवं उतरवाई, मिट्टी कार्य व वीडिंग, वृक्षारोपण, पौधों को स्थल तक पहुंचाने की ढुलाई, गड्डो में

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पौध व रिफलिंग कार्य, पौधों का पुनरोपण, थालों की मरम्मत, पौधों की सिंचाई तथा स्टेकिंग करना आदि है।

5. सभी दरें वर्ष 2017-18 में प्रभावी दरों के अनुसार है। आगामी वर्षों में श्रम एवं सामग्री की दरों में संशोधन होने पर परियोजना लागत स्वतः संशोधित मानी जायेगी। मजदूरी दर मनरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष अधिसूचित दर के आधार पर एवं सामग्री हेतु दरें उद्यान विभाग द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप मानी जायेगी।

6. परियोजना के अन्तर्गत पौध सुरक्षा/रख रखाव का दायित्व लाभार्थी परिवार का होगा।

7. एक ग्राम के लिए एक अथवा इससे अधिक परियोजना बनायी जा सकती हैं, जिसमें न्यूनतम 1, अधिकतम 10 कृषक शामिल किये जा सकेंगे। उक्त परियोजना को एक कार्य मानते हुये नरेगा साफ्ट के एम0आई0एस0 से संबंधित कार्य यथा- ID Generation, work allocation, e-MR Generation, MB, work completion, Geo tagging, Photography, Social Audit इत्यादि कार्यदायी विभाग द्वारा किये जायेंगें।

8. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उद्यान विभाग को कार्यदायी संस्था बनाया जा सकता है। कार्यदायी संस्था का निर्धारण जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। कार्यदायी संस्था, त्रिस्तरीय पंचायतें अथवा लाईन विभाग हो सकते हैं। उद्यान विभाग से इतर कार्यदायी संस्था होने पर उद्यान विभाग से तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सकेगी।

9. प्रत्येक परियोजना हेतु तकनीकी स्वीकृति मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान द्वारा प्रदान की जायेगी। प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए, ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी अधिकृत होंगे एवं ग्राम पंचायत से इतर, अन्य लाईन विभागों के कार्यदायी संस्था होने पर, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति देने का अधिकार जिलाधिकारी /जिला कार्यक्रम समन्वयक को होगा।

10. परियोजना हेतु उन्नत किस्म के कलमी पौधे, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की राजकीय उत्पादन ईकाइयों से क्रय किये जायेगें। इन ईकाइयों में पौधों की अनुपलब्धता की स्थिति में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) की एक्रीडिटेटेड पौधशालाओं से उच्चगुणवत्ता के कलमी पौधों का क्रय किया जा सकेगा।

11. कृषकों तक पौध पहुंचाने में परिवहन व्यय लगने की दशा में उद्यान विभाग के नियमों के अनुसार परिवहन व्यय की गणना प्रति पौधा करते हुये इसे पौधे के क्रय मूल्य में जोड़ा जा सकेगा।

12. भुगतान की व्यवस्था:-

परियोजना के अन्तर्गत समस्त भुगतान मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप किये जायेगें एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

<u>संलग्नक-परिशिष्ट- 1 एवं 2</u>

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 09 /2018/687(1)/अड्तीस-7-2018 तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, नियोजन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, ।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. प्रमुख सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खादय प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त, श्रम रोजगार, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट-1

महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में फलोद्यान रोपण हेतु इकाई लागत का विवरण(रू0 प्रति हेक्टेयर)

क्र0 सं0	विवरण	मानक दर का स्रोत	मात्रा	इकाई	दर(रू0में)	रोपण दूरी(मीटर में)															
						3X3 (1111 पौध प्रति हेक्टेयर)				5X5 (400 पौध प्रति हेक्टेयर)				6X6 (277 पौध प्रति हेक्टेयर)				10X10 (100 पौध प्रति हेक्टेयर)			
						सामान्य		पठारी		सामान्य		पठारी		सामान्य		पठारी		सामान्य		पठारी	
						मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
रोपण वर्ष (प्रथम वर्ष)																					
1	सर्वेक्षण एवं संभांकन	वन विभाग	1	है0	48.71	48.71	0.00	48.71	0.00	48.71	0.00	48.71	0.00	48.71	0.00	48.71	0.00	48.71	0.00	48.71	0.00
2	रोपण क्षेत्र की सफाई	वन विभाग	1	है0	356.32	356.32	0.00	356.32	0.00	356.32	0.00	356.32	0.00	356.32	0.00	356.32	0.00	356.32	0.00	356.32	0.00
3	गड्ढों का पंक्ति बन्धन	वन विभाग	प्रति गड्ढा	है0	0.31	344.41	0.00	344.41	0.00	124.00	0.00	124.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00
4	वृक्षारोपण हेतु गड्ढे(0.9X0.9X0.9)मीटर	मनरेगा	2.01/1.76	प्रति श्रमिक	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8706.46	0.00	9943.18	0.00
	(0.6X0.6X0.6) मीटर	मनरेगा	6.8/5.96	प्रति श्रमिक	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10294.12	0.00	11744.96	0.00	7128.67	0.00	8133.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.45X0.45X0.45) मीटर	मनरेगा	18.21 /16.1 5	प्रति श्रमिक	175.00	10676.82	0.00	12038.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	सामग्री की चढाई एवं उतराई	मनरेगा	500	प्रति श्रमिक	175.00	388.85	0.00	388.85	0.00	175.00		175.00		96.95		96.95		35.00		35.00	0.00
6	मिट्टी कार्य ववीडिंग 3 बार	मनरेगा	20	प्रति श्रमिक	175.00	29163.75	0.00	29163.75	0.00	10500.00		10500.00		7271.25		7271.25		2625.00		2625.00	
7	वृक्षारोपण कार्य	मनरेगा																			
7.1	पौधों को रोपण स्थान तक पहुचाने की ढुलाई	मनरेगा	278पौध	प्रति श्रमिक	175.00	699.37	0.00	699.37	0.00	251.80	0.00	251.80	0.00	174.37	0.00	174.37	0.00	62.94	0.00	62.94	0.00
7.2	गड्ढों में पौध लगाना व पिंचिंग कार्य	मनरेगा																			
	(0.90X0.90X0.90) मीटर	मनरेगा	20पौध		175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00
	(0.60X0.60X0.60) मीटर	मनरेगा	34पौध		175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2058.82	0.00	2058.82	0.00	1425.73	0.00	1425.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.45X0.45X0.45) मीटर	मनरेगा	67पौध		175.00	2901.86	0.00	2901.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	आकस्मिक पुनरोपणकार्य	मनरेगा	प्रति पौध		8.75	9721.25	0.00	9721.25	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	2423.75	0.00	2423.75	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00
9	प्रत्येकपौधे की देखरेख,मिट्टी का एवं थालों की मरम्मत- माह में दो बार (175X2X12)	मनरेगा	प्रतिदिन		175.00	4200.00	0.00	4200.00	0.00	4200.00	0.00	4200.00	0.00	4200.00	0.00	4200.00	0.00	4200.00	0.00	4200.00	0.00
10	ब्लाक प्लान्टेशन की हैण्ड पम्प/बोरवेल से पौधों की सिंचाई (30 मी0 से अधिक दूरी तक 12 बार)	मनरेगा	प्रति पौध		1.75	23331.00	0.00	23331.00	0.00	8400.00	0.00	8400.00	0.00	5817.00	0.00	5817.00	0.00	2100.00	0.00	2100.00	0.00
11	पौधों की कीमत (10 प्रतिशत अतिरिक्त)	उद्यान विभाग	प्रति पौध		30.00	0.00	36660.00	0.00	36660.00	0.00	13200.00	0.00	13200.00	0.00	9150.00	0.00	9150.00	0.00	3300.00	0.00	3300.00
12	अन्य व्यय	वन विभाग			1100.00	0.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	1100.00
योग						**81832.34**	**37760.00**	**83194.22**	**37760.00**	**39908.77**	**14300.00**	**41359.61**	**14300.00**	**29028.75**	**10250.00**	**30033.47**	**10250.00**	**19915.43**	**4400.00**	**21152.15**	**4400.00**
अनुरक्षण (द्वितीय वर्ष)																					
1	पौधों की कीमत (10 प्रतिशत अतिरिक्त)	उद्यान विभाग	प्रति पौध		30.00	0.00	3300.00		3300.00	0.00	1200.00		1200.00	0.00	840.00		840.00	0.00	300.00	0.00	300.00
2	ब्लाक प्लान्टेशन की हैण्ड पम्प/बोरवेल से पौधों की सिंचाई (30 मी0 से अधिक दूरी तक 12 बार)	मनरेगा	प्रति पौध		1.75	23331.00	0.00	23331.00	0.00	8400.00	0.00	8400.00	0.00	5817.00	0.00	5817.00	0.00	2100.00	0.00	2100.00	0.00
3	पौधों की निराई गुड़ाई 12 बार	वन विभाग	प्रति पौध		1.12	14931.84		14931.84		5376.00		5376.00		3722.88		3722.88		1344.00		1344.00	
4	रासायनिक उर्वरक/पेस्टीसाइट	वन विभाग		है0	600.00	0.00	600.00		600.00	0.00	600.00		600.00	0.00	600.00		600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
5	अन्य व्यय	वन विभाग			1100.00	0.00	1100.00		1100.00	0.00	1100.00		1100.00	0.00	1100.00		1100.00	0.00	1100.00	0.00	1100.00
योग						**38262.84**	**5030.00**	**38262.84**	**5030.00**	**13776.00**	**2900.00**	**13776.00**	**2900.00**	**9539.88**	**2540.00**	**9539.88**	**2540.00**	**3444.00**	**2000.00**	**3444.00**	**2000.00**
अनुरक्षण (तृतीय वर्ष)																					
1	पौधों की कीमत (5 प्रतिशत अतिरिक्त)	उद्यान विभाग	प्रति पौध		30.00	0.00	1680.00		1680.00	0.00	600.00		600.00	0.00	420.00		420.00	0.00	150.00	0.00	150.00
2	ब्लाक प्लान्टेशन की हैण्ड पम्प/बोरवेल से पौधों की सिंचाई (30 मी0 से अधिक दूरी तक 12 बार)	मनरेगा	प्रति पौध		1.75	23331.00	0.00	23331.00	0.00	8400.00	0.00	8400.00	0.00	5817.00	0.00	5817.00	0.00	2100.00	0.00	2100.00	0.00
3	पौधों की निराई गुड़ाई 12 बार	वन विभाग	प्रति पौध		1.12	14931.84		14931.84		5376.00		5376.00		3722.88		3722.88		1344.00		1344.00	
4	पौधरक्षा रसायन (फ्लेरे 10ई/रू0 75/किग्रा0)	वन विभाग	08 किग्रा0	है0	600.00	0.00	600.00		600.00	0.00	600.00		600.00	0.00	600.00		600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
5	अन्य व्यय	वन विभाग			1100.00	0.00	1100.00		1100.00	0.00	1100.00		1100.00	0.00	1100.00		1100.00	0.00	1100.00	0.00	1100.00
योग						**38262.84**	**3380.00**	**38262.84**	**3380.00**	**13776.00**	**2300.00**	**13776.00**	**2300.00**	**9539.88**	**2120.00**	**9539.88**	**2120.00**	**3444.00**	**1850.00**	**3444.00**	**1850.00**
	कुल योग					**158358.02**	**46170.00**	**159719.90**	**46170.00**	**67460.77**	**19500.00**	**68911.61**	**19500.00**	**48108.51**	**14910.00**	**49113.23**	**14910.00**	**26803.43**	**8250.00**	**28040.15**	**8250.00**

अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट-2

सारांश

महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में फलोद्यान रोपण हेतु ईकाई लागत का विवरण रू)0 प्रति हेक्टेयर(

क्रसं	विवरण	रोपण दूरी(मीटर में)															
		पौध 1111) 3x3प्रति हेक्टेयर(				(यरपौध प्रति हेक्टे 400) 5x5				(यरपौध प्रति हेक्टे 277) 6x6				(यरपौध प्रति हेक्टे 100) 10x10			
		सामान्य		पठारी		सामान्य		पठारी		सामान्य		पठारी		सामान्य		पठारी	
		मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री	मजदूरी	सामग्री
1	रोपण(प्रथम वर्ष)	81832.34	37760	83194.2	37760	39908.77	14300	41359.61	14300	29028.75	10250	30033.47	10250	19915.43	4400	21152.15	4400
2	अनुरक्षण (द्वितीय वर्ष)	38262.84	5030	38262.84	5030	13776.00	2900	13776.00	2900	9539.88	2540	9539.88	2540	3444.00	2000	3444.00	2000
3	अनुरक्षण)तृतीय वर्ष (	38262.84	3380	38262.84	3380	13776.00	2300	13776.00	2300	9539.88	2120	9539.88	2120	3444.00	1850	3444.00	1850
	योग	158658.02	46170	159719.9	46170	67460.77	19500	68911.61	19500	48108.51	14910	49113.23	14910	26803.43	8250	28040.15	8250

अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।